न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2017 (GCMS 2017/00128)	22.03.2017	29.01.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

दीपक पाण्ड्या पुत्र श्री हरि शंकर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए–6 मीरा मार्केट, कलेक्ट्री चौराहा निवासी मिठाई मार्केट, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 29.10.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2016 को समय 11:40 एएम मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए–6 मीरा मार्केट कलेक्ट्री चौराहा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां पर दीपक पाण्ड्या पुत्र हरिशंकर पाण्ड्या उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी व नमकीन अन्य मिठाई आदि का निर्माण आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्रसिं एवं श्री उ... ...ला की उपस्थिति में मैंने अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया, एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता व गवाहन की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 1 लोहे के चदद्र की ट्रे में लगभग 6 किलोग्राम मावा बर्फी तैयार रखी पाई गई। व्यपारी ने बताया कि उक्त मावा बर्फी का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहन की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा बर्फी जो कि लगभग 6 किलोग्राम थी में से 2 किलोग्राम मावा बर्फी वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपयें 400/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदाशुदा मावा बर्फी को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चार प्लास्टिक जारों में अलग–अलग भरकर प्रत्येक जार में 40–40 बून्दे फोर्मलिन बतौर प्रिजरवेटिव डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयरटाइट बंद किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग में लेबल चिपकाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैंने गवाहन व व्यापारी ने हस्ताक्षर किए थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-760** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोंद से चिपकाए एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सिरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहन के हस्ताक्षर कराकर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूना के एक भाग (चौथा भाग) को एक एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नंबर 6 की अलग से सिल्ड लिफाफे में पत्रवाहक के हाथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म संख्या 6 की अलग से सीड्ल लिफाफ में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2016/5921** दिनांक 30.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त मावा बर्फी का नमूना वास्ते जांच क्रय किया गया था जो कि सबस्टेन्डड होना पाया गया है। मेरे द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग चित्तौड़गढ़ को उक्त फर्म के संविधान बाबत पत्र प्रेषित किया गया था जिसकी मूल कार्यालय प्रति व प्राप्त प्रतिउत्तर मूल प्रति संलग्न है। उक्त फर्म मैसर्स पण्डित स्वीट्स को अभिहित अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके सही नाम व पते पर प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई जो कि मूल कार्यालय प्रति मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। फर्म पण्डित स्वीट्स को उनके संविधान के संबंध में जानकारी बाबत पत्र प्रेषित किया गया जिसकी मूल कार्यालय प्रति व प्राप्त प्रतिउत्तर मूल व वाणिज्यिक कर विभाग का मूल प्रति उत्तर भी संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक/**FSSA/2016/5921** दिनांक 30.11.2016 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2016/990** दिनांक 09.03.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ अलग है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने सब स्टेन्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है, अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.05.2017 को अप्रार्थी की और से अधिवक्ता आरसी दशोरा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थी की और से जवाब पेश किया अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया कि विपक्षी दीपक पांडिया श्री देवेंद्र सिंह [illegible]णावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं जानता हूं, जो तथ्य अंकित किए हैं। वह मेरी जानकारी में नहीं है। खाद्य निरीक्षक ने दिनांक 29.10.2016 को मैसर्स पंडित स्वीट्स पर मेरे हस्ताक्षर बतौर मौतबीर करवाए थे। पंडित स्वीट्स का मैं मालिक नहीं हूं, ना ही मैं पंडित स्वीट्स को संचालित करता हूं। पंडित स्वीट्स से मेरा कोई लेना–देना नहीं है। मैं वहां पर बैठा हुआ था। इसलिए मेरे से यह कहकर हस्ताक्षर करवाए की बतौर मौतबीर हस्ताक्षर कर दो, हमारी सरकारी खानापूर्ति करनी है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे से कोई लाइसेंस भी नहीं मांगा और ना ही कोई पूछताछ की। मेरे सामने बर्फी (मावा) का कोई सैंपल पंडित स्वीट्स से नहीं लिया गया, नहीं सूचना फार्म तैयार किया उक्त घटना मेरे सामने नहीं हुई। मावा (बर्फी) भी मुझसे नहीं खरीदी और ना ही मुझे कोई 400/– रूपये दिए ना ही नमूना जांच हेतु खरीदा। मैं पंडित स्वीट्स पर बैठा था। पंडित स्वीट्स का मैं न तो प्रोपराइटर हूं, ना मालिक हूं, ना ही मिठाई मावा बर्फी मेरे द्वारा विक्रय की जा रही थी। ना ही मेरे द्वारा मिठाई निर्मित की गई थी, सारे तथ्य काल्पनिक बनावटी तैयार किए गए हैं। खाद्य निरीक्षक ने मेरे सामने कोई भी प्लास्टिक के जार में सैंपल नहीं लिया ना ही लेबल चिपकाए और ना ही इस प्रकार की प्रक्रिया मेरे सामने निष्पादित कि, मेरे सामने कोई फर्द तैयार नहीं की ना ही कोई पंचनामा तैयार किया गया। सारी कहानी बेबुनियाद होकर कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। विपक्षी ने तो पंडित स्वीट्स का मालिक है और ना ही प्रोपराइटर है। पंडित स्वीट्स पर मिठाई मेरे द्वारा ना तो निर्मित की गई और ना ही मेरे द्वारा विक्रय की गई मेरे विरुद्ध प्रकरण बिल्कुल मिथ्या बेबुनियाद तैयार किया गया है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी खाद्य निरीक्षक परिवाद खारीज फरमावें।

दिनांक 27.01.2021 को विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस के निवेदन पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा की गई बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य निरीक्षक ने दिनांक 29.10.2016 को मैसर्स पंडित स्वीट्स पर मेरे हस्ताक्षर बतौर मौतबीर करवाए थे। पंडित स्वीट्स का मैं मालिक नहीं हूं, ना ही मैं पंडित स्वीट्स को संचालित करता हूं। पंडित स्वीट्स से मेरा कोई लेना–देना नहीं है। मैं वहां पर बैठा हुआ था। इसलिए मेरे से यह कहकर हस्ताक्षर करवाए की बतौर मौतबीर हस्ताक्षर कर दो, हमारी सरकारी खानापूर्ति करनी है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे से कोई लाइसेंस भी नहीं मांगा और ना ही कोई पूछताछ की। मेरे सामने बर्फी (मावा) का कोई सैंपल पंडित स्वीट्स से नहीं लिया गया।सारे तथ्य काल्पनिक बनावटी तैयार किए गए हैं। खाद्य निरीक्षक ने मेरे सामने कोई भी प्लास्टिक के जार में सैंपल नहीं लिया ना ही लेबल चिपकाए और ना ही इस प्रकार की प्रक्रिया मेरे सामने निष्पादित कि, मेरे सामने कोई फर्द तैयार नहीं की ना ही कोई पंचनामा तैयार किया गया। सारी कहानी बेबुनियाद होकर कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। विपक्षी ने तो पंडित स्वीट्स का मालिक है और ना ही प्रोपराइटर है। पंडित स्वीट्स पर मिठाई मेरे द्वारा ना तो निर्मित की गई और ना ही मेरे द्वारा विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई मेरे विरुद्ध प्रकरण बिल्कुल मिथ्या बेबुनियाद तैयार किया गया है। अतः विपक्षी पर किसी अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है एवं संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किए होने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांतो का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। अप्रार्थी द्वारा परिवाद में वर्णित समस्त तथ्यों से इन्कार किया गया है जबकि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–द्वितीय वृत्त चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/स.अ.वा.क. /घट–द्वितीय/783 दिनांक .... द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि फर्म पण्डित स्वीट्स, मीरा मार्केट का मालिक दीपक पाण्डिया पुत्र हरिशंकर पाण्डिया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों से इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित होता है कि मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए–6 मीरा मार्केट का प्रोपराईटर दीपक पाण्डिया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 681/Act/2016/667** दिनांक 04.11.2016 का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी सब–स्टेन्डर्ड होना पाया जाना प्रमाणित होता है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT -
(1) Sample description - The Sample contained in a wide mouth glass jar screwed with lid,
(ii) Physical appearance - Creamish in color.
(ii) Label :- Loose Sample of Mawa burfi As per form No VI
Opinion. The sample Mawa burfi Bearing code no and serial no. AM 760 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O. of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40'c does not meet as per the prescribed provision as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006,

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थीगणों द्वारा ने उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए-6 मीरा मार्केट चित्तौड़गढ़ द्वारा विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने सब स्टेन्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी दीपक पाण्ड्या पुत्र श्री हरि शंकर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए-6 मीरा मार्केट, कलेक्ट्री चौराहा निवासी मिठाई मार्केट, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त दीपक पाण्ड्या पुत्र श्री हरि शंकर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए-6 मीरा मार्केट, कलेक्ट्री चौराहा निवासी मिठाई मार्केट, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन करने हेतु अभियुक्त श्री दीपक पाण्ड्या पुत्र श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरिशंकर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स पण्डित स्वीट्स, ए–6 मीरा मार्केट, कलेक्ट्री चौराहा निवासी मिठाई मार्केट, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:57 IST
Reason: SelfAttested